



EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 1577] No. 1577) नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 2008/कार्तिक 16, 1930 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 2008/KARTIKA 16, 1930

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2008

का.आ. 2626(अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्द्वारा यह निदेश देती हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल, राष्ट्रपति के निवंत्रण के अध्यधीन तथा अगले आदेशों तक, दन्त-चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार की शक्तियों का भी प्रयोग करेंगे और कार्यों का निवंहन करेंगे।

[फा. सं. यू-11019/8/2008-यू टी एल] बी. भामधी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2008

S.O. 2626(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the Dentist Act, 1948 (16 of 1948) and the rules made thereunder.

[F. No. U-11019/8/2008-UTL]
B. BHAMATHI, Jt. Secy.